दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथिः 17 अगस्त, 2022</u>

<u>रि.या.(आप) 763/2022</u>

फिजा और अन्य ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अरविंद सिंह, श्री ए.के. मिश्रा, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य ...प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री रूपाली बंदोपाध्याय, विद्वान अति.स्था.अधि. सह श्री अक्षय कुमार, श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्तागण।

सहा.उप.नि. हरविन्दर कौर, थाना उत्तर द्वारका

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री जसमीत सिंह

<u>न्या.,जसमीत सिंह (*मौखिक*)</u>

<u>आप.वि.आ. 6443/2022-(छूट)</u>

सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन अनुमति प्रदानित|

आवेदन का निपटान किया गया है।

<u>रि.या.(आप) 763/2022</u>

1. यह एक याचिका है जो परमादेश की प्रकृति में रिट या किसी अन्य रिट की माँग करता है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को निर्देश दिया जाए कि वह याचीगण को सुरक्षा प्रदान करे और आगे उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि कोई भी याचीगण को एक-दूसरे से अलग न करे|

2. याचिका का तथ्यात्मक सांचा यह है कि याचीगण कानून का पालन करने वाले और शांतिप्रिय नागरिक हैं और धर्म से मुस्लिम हैं।

3. याचिकाकर्ता सं.1 याचिकाकर्ता सं.2 की विवाहित पत्नी है| प्रत्यर्थी सं. 1 राज्य अर्थात दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है| प्रत्यर्थी सं.2 पुलिस आयुक्त हैं और प्रत्यर्थी सं. 3 थाना तुगलकाबाद, दिल्ली के थाना अध्यक्ष हैं | प्रत्यर्थी सं.4 याचिकाकर्ता सं.1 के पिता है और प्रत्यर्थी सं.5 याचिकाकर्ता सं.1 की माँ हैं|

4. याचीगण एक-दूसरे से प्यार करते थे और दिनांक 11.03.2022 को बिहार के औरिया जिले की जोकिहाट मस्जिद के मौलाना इम्तियाज द्वारा मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली थी|

5. याचीगण ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से शादी करने का फैसला किया था| निकाहनामा की एक प्रति और याचीगण के एक-दूसरे के साथ हुई शादी को प्रदर्शित करने वाले शपथ-पत्र को याचिका के साथ संलग्न किया गया है|

6. प्रत्यर्थी सं. 4 और 5, याचिकाकर्ता सं.1 के माता-पिता होने के नाते, याचीगण के विवाह का विरोध कर रहे हैं और एक प्राथमिकी सं.163/2022 याचिकाकर्ता सं. 2 के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 363 के तहत थाना द्वारका (उत्तर) में दिनांक 05.03.2022 को दर्ज कराई है| हालाँकि, शुरू में प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 363 के तहत थी, जिसमे बाद में भा.दं.सं. की धारा 376 और धारा 6 पॉक्सो को जोड़ा गया है|

7. याचिकाकर्ता सं.1 (बाल-पीड़ित) के अनुसार, उसे घर पर उसके माता-पिता द्वारा नियमित रूप से पीटा जाता था| माता-पिता ने उसकी शादी जबरन किसी और से करने की कोशिश की जब वह याचिकाकर्ता सं. 2 से प्रेम करती थी|

8. प्रत्यर्थी-राज्य ने एक स्थिति आख्या दायर की है, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता सं.1 की जन्म तिथि 02.08.2006 है अर्थात याचिकाकर्ता विवाह की तारीख पर केवल 15 वर्ष और 5 महीने की थी|

9. दिनांक 27.04.2022 को, याचिकाकर्ता सं.1 को याचिकाकर्ता सं. 2 की अभिरक्षा से बरामद किया गया था और याचिकाकर्ता सं.1 की चिकित्सा जांच दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू), दिल्ली में की गई थी|

10. इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता सं.1 और 2 ने यौन संबंध बनाए हैं| चिकित्सा जांच के बाद, याचिकाकर्ता सं. 1 को 27.04.2022 को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया था, और सीडब्ल्यूसी के निर्देशों के अनुसार, पीड़ित बच्ची को उक्त तिथि से निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरि नगर में रखा गया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ता सं.1 गर्भवती है और याचिकाकर्ता सं.1 और 2 एक साथ बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं| वह आगे मेरा ध्यान याचिकाकर्ता सं.1 की धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दिए गए बयान की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता सं. 1/अभियोक्त्री ने आरोप लगाया है कि उसकी माँ उसे घर पर पीटती थी और वह अभियोक्त्री को घर के अंदर बंद कर देती थी|

12. याचिकाकर्ता सं.1 अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से याचिकाकर्ता सं.2 के साथ भागी और दिनांक 11.03.2022 को शादी कर ली|

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है|

14. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में आप.रि.या. 5744/2022 शीर्षक *'गुलाम दीन व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य'* में अभिनिर्धारित किया है कि:-

> *"**यूनुस खान** (उपरोक्त) के मामले में यह नोट किया गया है कि एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होता है| सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला द्वारा लिखित मुस्लिम कानून के सिद्धांत पुस्तक के अनुच्छेद 195 को भी उक्त निर्णय में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो लेख निम्नानुसार है:*
> *'195. विवाह की क्षमता-(1) स्वस्थ चित्त का प्रत्येक मुस्लिम जो युवावस्था प्राप्त कर चुका है विवाह के अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।*
> *(2) उन्मत्त और नाबालिग जिन्हें युवावस्था प्राप्त नहीं हैं, उन्हें उनके संबंधित अभिभावकों द्वारा विवाह में वैध रूप से अनुबंधित किया जा सकता है।*
> *(3) किसी ऐसे मुस्लिम का विवाह जो स्वस्थ चित्त का हो और युवावस्था प्राप्त कर चुका हो, यदि उसकी सहमति के बिना किया गया हो तो वह अमान्य है|*
> *व्याख्या- साक्ष्य के अभाव में पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने पर युवावस्था की परिकल्पना की जाती है।"*

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुस्लिम कानून के अनुसार लड़की, जो युवावस्था की आयु प्राप्त कर चुकी थी, अपने माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती थी और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार था भले ही वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो और अन्यथा नाबालिग लड़की हो|

16. मेरा ध्यान रि.या.(आप.) 1449/2022 शीर्षक *"इमरान बनाम दिल्ली राज्य दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य के द्वारा"* में दिनांक 06.07.2022 के एक आदेश की ओर भी खींचा गया है जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पॉक्सो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन दुरूपयोग और शोषण से बचाने के लिए एक अधिनियम है और यह मुस्लिम कानून पर लागू होगा|

17. तथापि, मुझे *इमरान बनाम दिल्ली राज्य दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य के द्वारा"* के तथ्यों को अलग करना होगा, इमरान (उपरोक्त) भा.दं.सं. की धारा 376/506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी सं. 196/2022 और आरोप-पत्र को अभिखंडित करने हेतु था|

18. *"इमरान बनाम दिल्ली राज्य दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य के द्वारा"* के मामले में, अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था| वास्तव में, उस मामले में यौन संबंध शादी से पहले स्थापित किया गया था| शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद आरोपी ने अभियोक्त्री से शादी करने से इनकार कर दिया था| इसी आधार पर उस मामले के तथ्यों पर पॉक्सो लागू किया गया था| पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य में कहा गया है कि अधिनियम

का उद्देश्य बच्चों की छोटी उम्र को सुरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका प्रताड़न ना हो और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जा सके| यह प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन उत्पीड़न होने से बचाना है|

19. *"इमरान बनाम दिल्ली राज्य दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य के द्वारा"* के मामले में शारीरिक संबंध विवाह के बहाने बनाया गया था और इसलिए यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के यौन शोषण का मामला था|

20. दूसरी ओर, वर्तमान मामले में यह शोषण का मामला नहीं है बल्कि एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता प्यार में थे, मुस्लिम कानूनों के अनुसार शादी कर ली और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए|

21. स्थिति आख्या से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकार एक-दूसरे के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे| इसका कोई प्रकथन नहीं है कि उन्होंने शादी से पहले यौन संबंध बनाए थे| वास्तव में, स्थिति आख्या इस तथ्य का सूचक है कि उनकी शादी दिनांक 11.03.2022 को हुई थी और उसके बाद शारीरिक संबंध स्थापित हुए|

22. वास्तव में दिनांक 19.07.2022 की स्थिति आख्या के अनुच्छेद 3 में कहा गया है किः-

> *"3. शादी के बाद पीड़िता और अभियुक्त, दोनों ने कई बार यौन संबंध बनाए| आगे, वर्तमान मामले में भा.दं.सं. की धारा 366/376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 को जोड़ा गया था।"*

23. इसलिए, याचीगण एक-दूसरे से विधिपूर्ण रूप से विवाहित होने के कारण एक दूसरे के साथ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यही विवाह का मूलतत्व है| यदि याचीगण को अलग कर दिया जाता है, तो यह केवल याचिकाकर्ता और उसके अजन्मे शिशु को और अधिक आघात पहुंचाएगा| यहां राज्य का उद्देश्य याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना है| अगर याचिकाकर्ता ने अपनी इच्छा से शादी के लिए सहमति दी है और खुश है तो राज्य याचिकाकर्ता के निजी मामले में दखल करने और जोड़े को अलग करने वाला कोई नहीं है| ऐसा करना राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्थान के अतिक्रमण के समान होगा|

24. 'रुखसाना व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार व अन्य' 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 2059 में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इसी तरह के तथ्यों पर विचार किया| उस मामले में स्वीकृत तथ्य यह थे कि दोनों याचिकाकर्ता एक-दूसरे से शादी करने के बाद एक साथ रह रहे थे| विवाह दिनांक 6.5.2005 को संपन्न हुआ| तब से, वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और आनंदमय विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे| उन्हें एक लड़का का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो अभी भी शिशु है| प्रत्यर्थीगण द्वारा उत्पन्न की

गई एकमात्र बाधा यह थी कि वह 16 वर्ष और छह महीने की थी और इस प्रकार, कथित अपराध के समय नाबालिग थी|

25. रुक्साना (*उपरोक्त*) में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

> *"हालाँकि, केवल इस कारण से, मेरा यह विचार है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचीगण को प्रार्थना की गई राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है और कार्यवाही को रद्द करना उचित मामला होगा।कार्रवाई का यह तरीका न केवल याचिकाकर्ता नं. लेकिन याचिकाकर्ता सं. और उसके बच्चे को भी।अभियोजन पक्ष इन आरोपों पर शुरू किया गया है कि याचिकाकर्ता नं. अपराध का शिकार है।**हालांकि, अगर याचिकाकर्ता नं. अब मुकदमा चलाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, फिर से यह याचिकाकर्ता नं। उस स्थिति में कौन पीड़ित होगा।अतिरिक्त पीड़ित छोटा बच्चा होगा।दोनों को बिना किसी वित्तीय सहायता के प्रदान किया जाएगा और परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।हमें उसकी पीड़ाओं और दुखों को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, जब वह स्वेच्छा से याचिकाकर्ता नं. और उससे शादी कर ली।"***
>
> *(जोर दिया गया है)*

26. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता सं. 1 के घर का वातावरण उसके और उसके पति के प्रति विरोधी है| याचिकाकर्ता सं.1 के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न के आरोप हैं| विवेक कुमार उर्फ़ संजू बनाम राज्य, (2007) 1 डीएलटी (सीआरआई) 902 जो दिनांक

23.02.2007 को निर्णित हुआ था में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया:-

> *"ऐसा कोई कानून नहीं है जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किसी से प्यार करने से रोके / किसी से प्यार करना भा.दं.सं. या किसी अन्य दंड विधि के तहत अपराध नहीं है/ प्रेम विवाह करना भी कोई अपराध नहीं है/ युवा लड़की, जो प्रेम में है, उसके लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं, एक यह है कि उसे अपने माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद अपने माता-पिता की सहमति से शादी करनी चाहिए। अगर उसके माता-पिता उसके समझाने पर राज़ी नहीं हो या बालिग होने की आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा करे और फिर एक बालिग होने के नाते अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करे / हालाँकि, यह तभी संभव है जब उसके माता-पिता का घर जहाँ वह रह रही है वहाँ सौहाद्रपूर्ण वातावरण हो और उसे उस घर में शांति से रहने और बालिग होने की आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने की अनुमति हो/ यह कारण याचिकाकर्ता सं. के मन में रहा हो सकता है जब उसने अपने पिता से कहा कि वह प्रेम में है और संजू से शादी करना चाहती है, लेकिन जब बेटी ने अपने पिता पर विश्वास कर सब बताया तो उनकी प्रतिक्रिया ने याचिकाकर्ता सं. 2 के मन में डर बिठा दिया/ उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि उसके इस कार्य से धर्म की छवि खराब होगी और धर्म को खतरा होगा/ उसने उसे जान से मारने और किसी अमीर व्यक्ति से उसकी शादी कराने की धमकी भी दी/ जब एक बार 17 साल की उम्र की लड़की जो प्रेम में है,*

को ऐसी धमकी दी जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में अपने संबंधियों द्वारा किए गए आघात से उसे अपने व्यक्ति और भावनाओं की रक्षा करने का अधिकार है भले ही हमला उसके अपने माता-पिता से हो| संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नाबालिगों को समान रूप से उपलब्ध है| पिता को अपनी बेटी जो 18 साल से कम की है, उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन शादी करने का कोई अधिकार नहीं है| न ही उन्हें उसे मारने का अधिकार है क्योंकि वह अपने धर्म से अलग शादी करना चाहती है| यदि लगभग 17 वर्ष की आयु की लड़की अपने पिता या रिश्तेदारों के हमले से खुद को बचाने के लिए अपने माता-पिता के घर से भाग जाती है और अपने प्रेमी के साथ मिल जाती है या उसके साथ भाग जाती है, तो यह लड़की के द्वारा कोई अपराध नहीं है या लड़के की ओर से भी कोई अपराध नहीं है जिसके साथ वह भागी और शादी कर ली।"

27. मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिका को अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 याचीगण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करेंगे| इमरान (*उपरोक्त*) के मामला में निर्धारित मिसाल का अपवाद इस तरह के मामले हैं|

28. यह भी निदेशित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता सं.1 की इच्छा है तो उन्हें याचिकाकर्ता सं. 2 के साथ होने की स्वतंत्रता होगी|

29. याचीगण एक साथ रहने के हकदार हैं और प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को याचीगण की व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता हैं|

30. उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए याचिका की अनुमति है।

न्या., जसमीत सिंह

अगस्त 17,2022/(एमएस)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*